

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

email : higher-education@cg.gov.in

-- 0 --

क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा	डी.सी.ए.	60	20	80
		पी.जी.डी.सी.ए.	60	20	80
2	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	25	15	40
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	30	10	40
		एम.ए. हिन्दी	30	10	40
		एम.ए.राजनीतिशास्त्र	30	10	40
3	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए.	70	30	100
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह)	60	40	100
4	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	बी.ए.	300	40	340
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह)	120	60	180
		एम.काम	20	20	40
5	शासकीय बिलासा कन्या पी.जी.महाविद्यालय बिलासपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	40	20	60
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	25	5	30
		M.H.Sc. Food & Nutrition	35	5	40

6	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	30	10	40
7	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवारा रायपुर	बी.ए. (गृह विज्ञान)	40	20	60
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	20	20	40
		एम.ए. भूगोल	20	20	40
8	शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम	बी.ए.	300	20	320
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह)	100	20	120
9	शास. लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज	बी.एस.सी. (विज्ञान समूह)	100	20	120
10	शासकीय शहीद राजीव पांडेय महाविद्यालय भाटागांव, जिला रायपुर	बी.काम	90	20	110

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी:-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।

यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।

(ए.आर.खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 3-88/2021/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2021

07 JUL 2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन कमांक 08/आउशि/योजना/2021, दिनांक 12.01.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जशपुर नगर जिला जशपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग